FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर (प्र) मुकाम S.D.O. बायतु

रविन्द्रसिंह वगैरा बनाम भाखरसिंह

किस्म मुकदमा रा० प्रावेश नं. 309/2020 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7/10/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रिछपालराम सियाग ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 14/10/2020 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु	
14/10/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील कुछ प्राप्त जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी संख्या-12 की ओर से वकील श्री नरपत पूनड़ द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। शेष विप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। श्रीमान पीठासीन अधिकारी बाड़ [illegible] दिगर कार्यों में व्यस्त होने ... इल्तवा होकर आगामी तारीख 03/ /2020 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:47:16 IST
Reason: SelfAttested

बहुक्म

24/12/2021

03/11/2020 प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या-12 के वकील उप०। विप्रार्थी संख्या-12 के वकील द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया, आइन्दा पेश करना चाहते है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक-16/02/2021 को पेश हो।

16/02/2021 प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या-12 के वकील उप०। विप्रार्थी संख्या-12 के वकील द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया, आइन्दा पेश करना चाहते है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक-24/06/2021 को पेश हो।

24/06/21 प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या-12 के वकील उपस्थित। विप्रार्थी वकील द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 11/08/2021 को पेश हो।

11/08/2021 पक्षकारान फरीकैन उपस्थित। विप्रार्थी वकील द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 03/12/21 को पेश हो।

03/12/2021 पक्षकारान फरी[illegible] श्रीमान पीठासीन अधिकारी [illegible] अभियान-2021 कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 24/12/2021 को पेश हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:47:16 IST
Reason: SelfAttested

रीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/12/2021	प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या-12 के वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या-12 के वकील द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया, आईन्दा पेश करना चाहते है। अवसर चाहा गया है। पूर्व में विप्रार्थी संख्या-12 के अधिवक्ता को पर्याप्त अवसर दिये गये, बावजूद अवसरों के विप्रार्थी संख्या-12 के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नहीं करने से विप्रार्थी संख्या-12 का जवाब बन्द किया जाता है। अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 04/01/2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
04/01/2022	प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या-12 के वकील उपस्थित। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया कि प्रार्थी व विप्रार्थीगणों की खातेदारी भूमि शामिल खाते आई हुई है। प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खेतों के मध्य जो पुरानी मेड़ व डोले आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये हैं जिससे प्रार्थी को अपने खेत के सेंधों का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। खेत के सेंधों को लेकर प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के मध्य हमेशा तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत के सेंधों का सही ज्ञान करना आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का नेपमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेपमबन्दी आदेश किया जावें। जबकि विप्रार्थी संख्या-12 के अधिवक्ता द्वारा बताया कि प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के मध्य खेत के सेंधों को लेकर कभी भी तनाजा नहीं हुआ तथा खेत के सेंधों पर पुरानी मेड़ व डोले बने हुए हैं जिस कारण नेपमबन्दी की जानी जरूरी नहीं है इसलिए प्रार्थी का नेपमबन्दी आवेदन [illegible] किया जावें। अतः दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की [illegible] के बाद प्रार्थी का नेपमबन्दी आवेदन [illegible] तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर नियुक्त [illegible] जाता है व कमिश्नर [illegible] किया जाता है कि आप स्वयं या [illegible] भू-अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के [illegible] नेपमबन्दी मौके पर कमिश्नर रूल्स जमाकराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:47:16 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक / वाद / 1562 दिनांक : 4/01/2022

प्रार्थी बनाम विप्रार्थीगण

प्रार्थी		विप्रार्थीगण
1. खीवसिंह पुत्र भुरसिंह वगैरा जाति राजपुत निवासी डोलीनाडी तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर	बनाम	1. आम्बसिंह पुत्र ज्वारसिंह वगैरा जाति राजपुत निवासी डोलीनाडी तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 309/2020

आदेश

मौजा डोलीनाडी पटवार हल्का लापुन्दड़ा के मूल खेत खसरा नम्बर 94 रकबा 51.15 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वंय या अपने अधिनस्थ भू.अ.निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेत की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना गिड़ा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद / 1563 to 1567 दिनांक : 04/01/2022

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एंव पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा।
2. पटवारी हल्का लापुन्दड़ा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी खीवसिंह वगैरा।
4. विप्रार्थीगण आम्बसिंह वगैरा।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, गिड़ा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:47:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु